UPBJ180016442016

न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट नं02 नगीना, बिजनौर।

वाद सं0 **1155/2016**

जसराम सिंह बनाम सुरेन्द्र कुमार आदि

09–02–2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष उपस्थित है। धारा 89 सी0पी0सी0 के विकल्पों पर विचार किया गया, लेकिन न्यायालय मत में उक्त वाद संदर्भित किये जाने योग्य नहीं है, अतः उभयपक्षों की विधि व तथ्य की प्रतिपादनाओं के आधार पर अधोलिखित विवाद्यक विरचित किये जा रहे हैं:–

1– क्या वादी विवादित सम्पत्ति जिसका विवरण वादपत्र के अन्त में दिया गया है का मालिक काबिज व दाखिल है?

2–क्या वादी वादपत्र में वर्णित कथनों के आधार पर विवादित सम्पत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

3–क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?

4–क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

5–क्या वाद के श्रवण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है?

6–अनुतोष?

उपरोक्त वाद–बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य कोई वाद–बिन्दु नहीं बनता है न ही पक्षकारों द्वारा बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद–बिन्दु सं0 3, 4 व 5 दिनांक 03–03–2021 को पेश हो।

अपर सिविल जज (जू0डि0),
कोर्ट नं02 नगीना, बिजनौर।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPBJ180016442016/truecopy/order-1.pdf

www.ecourtsindia.com